इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 498] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2020—पौष 8, शक 1942

पशुपालन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 3-2-2020-पैंतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में अनुसूची चार में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये न्यूनतम सेवा अनुभव	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	पशुपालन विभाग	अपर संचालक	2 वर्ष	संचालक, पशुपालन	1. मुख्य सचिव—अध्यक्ष 2. कृषि उत्पादन आयुक्त—सदस्य 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग—सदस्य. 4. अपर सचिव/उपसचिव, पशुपालन विभाग—समन्वयक.
		या			
		संयुक्त संचालक	5 वर्ष	संचालक, पशुपालन	-तदैव-

टीप.—

1. प्रथमत: संचालक के पद पर पदोन्नति, अपर संचालक संवर्ग से होगी.

2. यदि अपर संचालक संवर्ग के अधिकारी, उपरोक्त कॉलम (4) में यथा उल्लेखित न्यूनतम सेवा अनुभव नहीं रखते हैं या अपर संचालक संवर्ग में कोई अधिकारी पदस्थ नहीं है, तो विचारण क्षेत्र संयुक्त संचालक के उन अधिकारियों तक विस्तारित किया जा सकेगा, जो अपर संचालक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र पाए जाएं. तथापि किसी अपर संचालक, जिसने अपर संचालक के रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, पर भी संयुक्त संचालक तथा अपर संचालक के रूप इनकी पिछले 5 वर्षों की सेवा को विचारण में लेते हुए संचालक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा.

3. यदि अपर संचालक संवर्ग में पदस्थ अधिकारी पदोन्नति के लिए पात्र नहीं पाए जाते हैं या अपर संचालक संवर्ग में कोई अधिकारी पदस्थ नहीं है तब संचालक के पद पर पदोन्नति संयुक्त संचालक संवर्ग से होगी.''

No. F 3-2-2020-XXXV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Veterinary Services (Gazetted) Recruitment Rules, 1966, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules in Schedule IV, for Serial No. 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of the Department	Name of Service of Post from which promotion is to be made	Minimum Service experience for promotion	Name of Service or post in which promotion is to be made	Name of the Members of the departmental Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	Department of Animal Husbandry	Additional Director	2 years	Director of Animal Husbandry	1. Chief Secretary—**Chairman** 2. Agriculture Production Commissioner—**Member.** 3. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary-Department of Animal Husbandry—**Member.** 4. Additional Secretary/Deputy Secretary, Department of Animal Husbandry—**Coordinator.**
		Or			
		Joint Director	5 years	Director of Animal Husbandry	-do-

Note :—

1. At first Promotion on the post of director shall be from Additional Director cadre.

2. If officers of Additional Director cadre don't have minimum service experience as mentioned in above column (4) or there is no officer posted in Additional Director cadre, than the Zone of consideration may be extended up to those officers of the Joint Director cadre, who are found eligible promotion on the post of Additional Director. However an Additional Director who has not completed two years of service as an Additional Director shall also be considered for the promotion to the post of Director taking into consideration their past 5 years service as Joint Director and Additional Director.

3. If the officers Posted in Additional Director cadre are not found eligible for promotion or there is no officer posted in Additional Director cadre than promotion on the post of Director shall be from Joint Director cadre.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेड. यू. शेख, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.